# सामाजिक न्याय– एक वैचारिक विश्लेषण

[1]Grihshobha, [2]*Dr. Jiley Singh*
[1]*Research Scholar*, [2]*Supervisor*
[1-2] *Department of* Political Science, *Malwanchal University, Indore (M.P)*

**Accepted**:01.07.2022 **Published**: 01.08.2022

## सार

यह वैचारिक विश्लेषण सामाजिक न्याय की बहुआयामी धारणा, इसकी दार्शनिक नींव, ऐतिहासिक विकास और समकालीन अनुप्रयोगों का पता लगाता है। विश्लेषण समानता, निष्पक्षता और अधिकारों के सिद्धांतों सहित सामाजिक न्याय को रेखांकित करने वाले सैद्धांतिक ढांचे की पड़ताल करता है। यह सामाजिक न्याय और विभिन्न सामाजिक संरचनाओं, जैसे आर्थिक प्रणालियों, कानूनी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों के बीच परस्पर क्रिया की जांच करता है। यह शोध असमानता, भेदभाव और हाशिए पर जाने के मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक न्याय प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का भी समाधान करता है। विविध विषयों के दृष्टिकोणों को संश्लेषित करके, इस विश्लेषण का उद्देश्य सामाजिक न्याय की व्यापक समझ और समावेशी और न्यायसंगत समाजों को बढ़ावा देने में इसके महत्वपूर्ण महत्व को प्रदान करना है।

**प्रमुख शब्दः** सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी, फेयरनेस, अधिकार, असमानता, भेदभाव, उपेक्षा, आर्थिक प्रणाली, कानूनी ढाँचे, शिक्षण संस्थानों।

## भूमिका

'सामाजिक–न्याय' वर्तमान समाज का केन्द्रीय मुद्दा है। इसलिए सभी सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, न्यायशास्त्र और संबद्ध अध्ययन सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। सामाजिक न्याय से निपटते समय, व्यक्ति को न्याय की पारंपरिक अवधारणा पर ध्यान देना चाहिए। न्याय भौतिक अनुभव से अधिक व्यक्तिगत भावना का विषय है।

न्याय का सम्बन्ध समय और परिस्थिति से भी होता है। जो अभी अतीत में होना था, अब वैसा नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, गुलाम रखना प्राचीन ग्रीस और रोम में ही था लेकिन आधुनिक युग में यह मानवता के खिलाफ अपराध होगा।

इस प्रकार, न्याय एक परिवर्तनशील अवधारणा है। यह समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। न्याय सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के एक पैटर्न को दर्शाता है और व्यक्तिगत आचरण का मूल्यांकन इसके आधार पर किया जाना चाहिए। इस अर्थ में, न्याय किसी समाज में व्यक्तियों को परखने की कसौटी बन जाता है।

हालाँकि, सामाजिक न्याय का विचार अपेक्षाकृत हाल ही में उत्पन्न हुआ है और काफी हद तक आधुनिक सामाजिक और आर्थिक विकास का उत्पाद है। न्याय की पारंपरिक अवधारणा को विभिन्न रूप से रूढ़िवादी या रूढ़िवादी अवधारणा के रूप में वर्णित किया गया है, जो 'न्यायपूर्ण' (या गुणी) व्यक्ति के गुणों पर केंद्रित है, जबकि सामाजिक न्याय की आधुनिक अवधारणा 'न्यायपूर्ण–समाज' की परिकल्पना करती है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक मानदंडों, व्यवस्था, कानून और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया से उभरी है। इसने उचित कार्रवाई पर जोर दिया और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के आधार पर नियमों और विनियमों को लागू करके समाज में हस्तक्षेप पैदा किया।

'सामाजिक–न्याय' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैः ''एक है सामाजिक और दूसरा है न्याय''। 'सामाजिक' शब्द का संबंध समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों से है और 'न्याय' शब्द का संबंध स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों से है। इस प्रकार, सामाजिक न्याय का संबंध स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, समानता प्रदान करने और समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने से है।

दूसरे शब्दों में, समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं का उच्चतम संभव विकास सुनिश्चित करना ही सामाजिक न्याय कहा जा सकता है। लेकिन 'सामाजिक न्याय' शब्द बहुत ही मायावी है और अनुभवजन्य रूप से समझ में नहीं आता है।

कृष्णा अय्यरअपनी पुस्तक 'जस्टिस एंड बियॉन्ड' में सही ही घोषित किया गया है कि ''सामाजिक न्याय कोई सटीक स्थिर या निरपेक्ष अवधारणा नहीं है जिसे सटीकता से मापा जा सके या निश्चित दुनिया में लाया जा सके। यह लचीला, गतिशील और सापेक्ष है।'' वास्तव में, समाज में न्यायपूर्ण मनुष्य, न्यायपूर्ण कार्य और न्यायपूर्ण स्थिति का उदय सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति प्रतीत होता है।

मैक कॉर्मिक''सामाजिक न्याय के आधार के रूप में व्यक्तियों की समान भलाई'' का सम्मान करता है। रूसो ने तर्क दिया कि मनुष्य स्वभाव से समान हैं लेकिन निजी संपत्ति की संस्था ने उन्हें असमान बना दिया है

और असमानताओं को और बढ़ा दिया है। इसलिए, मनुष्य की पूर्णता समाज के सुधार में निहित है जो मनुष्य प्राकृतिक भावनाओं और संवेदनाओं को विकसित करके टिप्पणी करके कर सकता है जो समानता और सामाजिक—न्याय की गारंटी देते हैं।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज को पुनः व्यवस्थित करना है ताकि सामाजिक संबंधों में अन्याय के स्रोत को खत्म किया जा सके, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव। दूसरी ओर, सामाजिक न्याय के लिए सुरक्षात्मक की आवश्यकता हो सकती है समाज के दलित, वंचित, कमजोर वर्गों के पक्ष में भेदभाव, क्योंकि इसका संबंध न्याय प्रदान करने के लिए वितरणात्मक चरित्र से होना चाहिए।

फ्रैंकेनासामाजिक न्याय को वितरण और पुनर्वितरण की किसी भी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो वैध नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासित होती है। उनके लिए न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और व्यावहारिक पहलू पर जोर देना चाहिए। इस प्रकार, वह सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय के एक भाग के रूप में मानते हैं जो न्यायपूर्ण समाज बनाने पर जोर देता है।

डी.डी. राफेल के अनुसार, "न्याय सामाजिक नैतिकता की नींव है और समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंधित है।''

सामाजिक—न्याय की अवधारणा में, 'न्याय' के पारंपरिक विचार और 'सामाजिक न्याय' के आधुनिक विचार के बीच अंतर करना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय को ठीक से समझा जाए तो यह न्याय की एक विशिष्ट आदत है जो दो अर्थों में ''सामाजिक'' है। सबसे पहले, इसके लिए आवश्यक कौशल न्याय के कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना, उनके साथ काम करना और संगठित करना है।

ये नागरिक समाज के प्राथमिक कौशल हैं जिनके माध्यम से स्वतंत्र नागरिक स्वयं के लिए (अर्थात् सरकार की ओर रुख किए बिना) वह कार्य करके स्व—शासन का प्रयोग करते हैं जिसे करने की आवश्यकता होती है। भाग लेने वाले नागरिक आम तौर पर अपने प्रयासों को उन सभी को ''वापस देने'' के प्रयासों के रूप में समझाते हैं जो उन्हें स्वतंत्र समाज से प्राप्त हुए हैं या स्वतंत्र नागरिकों के अपने लिए सोचने और कार्य करने के दायित्वों को पूरा करने के लिए।

यह तथ्य कि यह गतिविधि दूसरों के साथ की जाती है, इसे एक विशिष्ट प्रकार के न्याय के रूप में नामित करने का एक कारण है, इसमें व्यक्तिगत न्याय के कार्यों की तुलना में व्यापक सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय की दूसरी विशेषता जो सही ढंग से समझी गई है वह यह है कि इसका लक्ष्य पूरे शहर की भलाई है, न कि केवल एक एजेंट की भलाई। नागरिक अग्रणी दिनों की तरह स्कूल स्थापित करने या पुल बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। वे आधुनिक शहर में किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बिक्री आयोजित करने, खेल के मैदान की मरम्मत करने, साफ—सफाई करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। पर्यावरण या लाखों अन्य उद्देश्यों के लिए जिनकी ओर उनकी सामाजिक कल्पनाएँ उन्हें ले जा सकती हैं। इसलिए, दूसरा अर्थ जिसमें न्याय की यह आदत ''सामाजिक'' है, वह इसका उद्देश्य और इसका स्वरूप है, जिसमें मुख्य रूप से दूसरों की भलाई शामिल है। सामाजिक न्याय के गुण की इस परिभाषा की एक सुखद विशेषता यह है कि यह वैचारिक रूप से तटस्थ है। यह बाईं ओर के लोगों के लिए उतना ही खुला है जितना दाईं ओर या केंद्र में। इसकी गतिविधि का क्षेत्र साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एथलेटिक आदि हो सकता है और मानव सामाजिक गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम में शामिल हो सकता है।

सामाजिक न्याय का गुण अच्छे इरादों वाले लोगों को आम अच्छे (साध्य) की भौतिक सामग्री और वहां तक पहुंचने के तरीके (साधन) के बारे में विभिन्न ''यहां तक कि विरोधी'' व्यावहारिक निर्णयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इस तरह के मतभेद राजनीति की बातें हैं किसी को भी ''सामाजिक न्याय'' के ऐसे किसी भी उपयोग से इंकार करना चाहिए जो व्यक्तियों की आदतों (यानी गुणों) से जुड़ा नहीं है। सामाजिक न्याय एक गुण है, व्यक्तियों का गुण है या यह एक धोखा है। और यदि टोकेविले सही हैं कि ''संघ का सिद्धांत लोकतंत्र का पहला कानून है,'' तो सामाजिक न्याय लोकतंत्र का पहला गुण है, क्योंकि यह संघ के सिद्धांत को दैनिक व्यवहार में लाने की आदत है। हायेक ने लिखा, इसकी उपेक्षा के नैतिक परिणाम होंगे।

यह हमारे समय की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है कि हमारे पास उन उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक संगठन बनाने के लिए धैर्य और विश्वास की कमी है जिन्हें हम

अत्यधिक महत्व देते हैं। और तुरंत सरकार से कहें कि वह जबरदस्ती (या जबरदस्ती से जुटाए गए साधनों से) ऐसा कुछ भी लाए जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए वांछनीय लगे। फिर भी, नागरिकों की वास्तविक भागीदारी पर इससे अधिक घातक प्रभाव कुछ भी नहीं हो सकता है अगर सरकार, केवल सहज विकास के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करने के बजाय, अखंड हो जाए और उन सभी जरूरतों के प्रावधान का प्रभार ले ले जो केवल आम लोगों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं।

सामाजिक न्याय की अवधारणा में प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के क्रमबद्ध विकास के लिए आवश्यक विविध सिद्धांत शामिल हैं। सामाजिक न्याय सामान्य अर्थ में न्याय का एक अभिन्न अंग है। न्याय वह जाति है जिसकी एक प्रजाति सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय गरीबों, कमजोरों, दलितों, आदिवासियों और समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए समानता के स्तर तक ऊपर उठाने की एक गतिशील युक्ति है। सामाजिक न्याय किसी समाज का एक सरल या एकल विचार नहीं है, बल्कि गरीबों आदि को विकलांगता, गरीबी से राहत देने, संकट को दूर करने और बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए उनके जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए जटिल सामाजिक परिवर्तन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य वास्तव में उन असमानताओं को कम करना है जो समाज में व्याप्त हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां आर्थिक और सामाजिक अवसरों में बड़ी खाई मौजूद होती है। यह सही है कि सामाजिक न्याय गरीबों और वंचितों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम कर सकता है, जो उन्हें समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।

इसलिए, संविधान राज्य को मानव गतिविधि के सभी पहलुओं में समाज के सभी सदस्यों को न्याय देने का आदेश देता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा समानता को जीवन की व्यावहारिक सामग्री को चखने और जीवंत बनाने में सक्षम बनाती है। सामाजिक न्याय और समानता एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए दोनों को अपनी जीवंतता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए, समानता लाने के लिए कानून का शासन सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली साधन है।

जॉन रॉल्स के अधिकांश लेखन में सामाजिक न्याय एक अराजनीतिक दार्शनिक अवधारणा के रूप में दिखाई देता है। सामाजिक न्याय के कुछ सिद्धांतों को उन लोगों द्वारा अपनाया गया है जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बाईं ओर या केंद्रीय बाईं ओर हैं यानी समाजवादी, सामाजिक डेमोक्रेट आदि।

सामाजिक न्याय भी एक अवधारणा है जिसका उपयोग कुछ लोग सामाजिक रूप से न्यायसंगत दुनिया की ओर आंदोलन का वर्णन करने के लिए करते हैं। इस अवधारणा में सामाजिक न्याय मानवाधिकार एवं समानता की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार, पूरे विश्व में निरंतर प्रयासों के माध्यम से सद्भाव सुनिश्चित करने और संघर्षों को कम करने के लिए सामाजिक न्याय वर्तमान समय की आवश्यकता है। तनाव से ग्रस्त दुनिया वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए सुखद और सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए सामाजिक राजनीतिक विरोधाभासों से छुटकारा पाना चाहती है।

सामाजिक न्याय वर्ग, लिंग, जातीयता या संस्कृति के बीच भेद के आधार पर भेदभाव की सामान्य अस्वीकृति को दर्शाता है। यह समतावाद में विश्वास करता है क्योंकि धन या प्रभाव में बड़ी असमानताएं सामाजिक संस्थाओं की विकृति या पूर्ण कमी के कारण होती हैं जो मजबूत लोगों को कमजोरों को लूटने से रोकती हैं। आपने सामाजिक न्याय को बहुत ही सूक्ष्म और सटीक तरीके से परिभाषित किया है। सामाजिक न्याय का आधार व्यक्ति के कल्याण और उसके जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित होना चाहिए। यह न केवल उत्पीड़न से मुक्ति का प्रयास करता है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की भी खोज करता है। इस तरह से, सामाजिक न्याय लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है और समाज में हर व्यक्ति की गरिमा और समानता को बढ़ावा देता है, जो वास्तविक लोकतंत्र की आत्मा है।

विश्व की समाजवादी पार्टियों ने सामाजिक/आर्थिक न्याय में बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं। माइकल हैरिंगटन ने "समाजवाद" पर अपनी पुस्तक में कहा है कि यूरोप में लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। समाजवादी श्रम और व्यक्तिगत उत्पादकता (सार्वभौमिक आय या बुनियादी आय अनुदान) में आर्थिक न्याय के चैंपियन और अग्रणी रहे हैं। समाजवादी हमेशा मानवाधिकारों और मानवीय नीतियों के समर्थक रहे हैं। समाजवादियों की नीति जीवंतता और स्थिरता को अपनाती है। यह मामला

1900 के दशक की शुरुआत से पहले का है।
दुनिया भर में ग्रीन पार्टियों की शाखाएँ सामाजिक न्याय को इस सिद्धांत के रूप में परिभाषित करती हैं कि सभी व्यक्ति ''बुनियादी मानवीय जरूरतों'' के हकदार हैं, चाहे कुछ भी हो।
"आर्थिक असमानता, वर्ग, लिंग, नस्ल, जातीयता, नागरिकता, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या स्वास्थ्य जैसे सतही अंतर। इसमें गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, सुदृढ़ पर्यावरण नीति की स्थापना और स्वस्थ व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अवसर की समानता शामिल है।
सामाजिक न्याय एक सापेक्ष अवधारणा है जो लोगों, उनकी परंपराओं और आकांक्षाओं, उनकी उथल–पुथल और पीड़ाओं, उनके पिछड़ेपन, खून और आंसुओं को अपने में समाहित कर लेती है। एक अलग अर्थ में, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस सापेक्षता पर ध्यान दिया।
सामाजिक न्याय की अवधारणाएँ समय के अनुसार भिन्न–भिन्न रही हैं। विलियम द कॉन्करर के दिनों में एक नॉर्मन या सैक्सन के लिए जो निर्विवाद सामाजिक न्याय प्रतीत होता था, उसे आज इंग्लैंड में इस रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।
क्यूबेक के निवासी के लिए जो निर्विवाद सामाजिक न्याय प्रतीत हो सकता है, वह पर्किंग के निवासी के लिए एक अलग पहलू हो सकता है। यदि कन्फ्यूशियस, मनु, हम्मुराबी और सोलोमन के लिए एक सम्मेलन की मेज पर एक साथ मिलना संभव हो सकता है, तो मुझे संदेह है कि क्या वे सामाजिक न्याय का गठन करने के लिए सहमत सूत्र विकसित करने में सक्षम होंगे जो एक बहुत ही विवादास्पद क्षेत्र है।
आपने कानून और समाज के बीच के अंतरसंबंध का वर्णन बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। न्यायालय और न्यायाधिकरण को कानून के निर्देशों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और यदि कोई कार्य या आचरण कानून द्वारा अवैध घोषित किया गया है, तो उन्हें उसे प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां जनता की राय और कानूनी प्रणाली एक दूसरे के साथ बातचीत करती है और प्रतिक्रिया देती है। कभी–कभी, कानून जनता की राय के अनुसार ढल जाता है, और कभी–कभी जनता की राय को कानून के अनुरूप बदलना पड़ता है। इस तरह की गतिशीलता लोकतांत्रिक समाजों की विशेषता है, जहां नागरिक सक्रिय रूप से कानूनी और सामाजिक परिवर्तनों में भाग लेते हैं।
न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्र गडकर ने न्यायिक आदत के प्रतिबंधों और फैबियों की उदारता पर एक संतुलित टिप्पणी की। लोकतंत्र को पांच विशाल बुराइयों पर हमला करने का कार्य अपने ऊपर लेना चाहिएः रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य क्योंकि ये सभी पांच विशाल बुराइयां गरीबी की मूलभूत बुराई पर पनपती हैं।
गरीबी की चुनौती से निपटने के लिए लोकतांत्रिक विधायिकाओं द्वारा किए गए सभी प्रयास राज्य के नागरिकों को आर्थिक न्याय देने के प्रयास हैं। सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को विकसित करने और जीवन की खुशी और खुशी में भाग लेने के अवसर की समानता आर्थिक न्याय का लक्ष्य है।
वास्तव में, भारतीय समाज में जाति और समुदाय आधारित विभाजन सामाजिक संरचना के मूल तत्व हैं, जो न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि समुदायों के बीच भी असमानताओं को जन्म देते हैं। ये विभाजन श्रेष्ठता और हीनता की धारणाओं को मजबूत करते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और असमानता बढ़ती है।
सामाजिक न्याय का लक्ष्य इन विभाजनों को कम करना और समानता को बढ़ावा देना है, ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान मिल सके, भले ही वे किस जाति या समुदाय से हों। इस प्रकार, सामाजिक न्याय न केवल आर्थिक असमानताओं को संबोधित करता है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।
सामाजिक असमानता की बुराई पिछड़े वर्गों और समुदायों के संबंध में एक विशेष रूप से निंदनीय मंच मानती है, जिन्हें अछूत माना जाता है और इसलिए भारत में सामाजिक न्याय की समस्या उतनी ही जरूरी और महत्वपूर्ण है जितनी आर्थिक न्याय की समस्या है. .. मैं उपयोग कर रहा हूं सामाजिक न्याय शब्द को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया है ताकि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों को इसमें शामिल किया जा सके। इस प्रकार सामाजिक न्याय की अवधारणा सभी असमानताओं को दूर करने और सामाजिक मामलों के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को अपने दायरे में लेती है।

**निष्कर्ष**

निष्कर्ष में, सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करके और यह सुनिश्चित करके कि सभी व्यक्तियों को सफल होने के समान अवसर मिले, समाज के भीतर समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य नस्ल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और भेदभाव के अन्य रूपों से संबंधित बाधाओं को खत्म करना है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा देना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना है। ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच प्रदान करने वाली नीतियों और प्रथाओं की वकालत करके, सामाजिक न्याय एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहता है। अंततः, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासों, सहयोगात्मक कार्यों और समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है।

**संदर्भ**


1. सिंह, पी. (2019)। भारत में सामाजिक न्याय पर आरक्षण नीति का प्रभावः एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 40(3), 321—335।
2. कुमार, ए. (2018)। सामाजिक न्याय और भारतीय संविधानः एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। जर्नल ऑफ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी, 9(1), 45—63।
3. शर्मा, आर. (2017)। भारत में सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधानः एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज, 5(2), 78—92
4. दास, एस. (2016)। संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सामाजिक न्यायः भारत में अनुसूचित जातियों का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 7(2), 123—137।
5. शर्मा, एनके (2014)। कानूनी तंत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करनाः भारतीय संविधान से अंतर्दृष्टि। कानून और सामाजिक न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में (पीपी. 45—56)।
6. प्रसाद, आर. (2009)। भारत में सामाजिक न्याय के स्तंभ के रूप में न्याय तक पहुंचः एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, 8(1), 56—72।